पत्रांक : 3प/मु०ग्रा०सो०स्ट्री०ला०यो०–21–01/2024/85(स्वी०)/पं०रा०

अत्यावश्यक ई–मेल

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

किशोर कुमार,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले०एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक–21/3/2025

विषयः **वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य योजना मद से कुल ₹10,07,35,000/– (दस करोड़ सात लाख पैंतीस हजार रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति।**

आदेशः **स्वीकृत।**

2. विभागीय संकल्प संख्या 5465 दिनांक 17.09.2021 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के क्रियान्वयन हेतु निदेश संसूचित है। इस संकल्प की कंडिका–7 के आलोक में ग्राम पंचायतों द्वारा अधिष्ठापित किये जाने वाले सोलर स्ट्रीट लाईट हेतु कुल लागत का 75 प्रतिशत 15वें वित्त आयोग तथा शेष 25 प्रतिशत राज्य योजना/राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त राशि का उपयोग किया जाना है।

3. ब्रेडा, पटना के पत्रांक–2043 दिनांक–26.11.2024 द्वारा संसूचित है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के अंतर्गत 17 कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन कर इम्पैनलमेंट एग्रीमेंट किया गया है। इस पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–11200 दिनांक–29.11.2024 द्वारा सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन हेतु जिलावार कार्य आवंटित किया गया है।

4. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर से 25% राशि के भुगतान हेतु जिलों में राशि की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि राशि हेतु जिला से अधियाचना भी की गई है। कई जिलों में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु अवशेष राशि कम है।

5. **उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य योजना मद से कुल ₹10,07,35,000/– (दस करोड़ सात लाख पैंतीस हजार रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति जिलावार निम्न प्रकार प्रदान की जाती है :–**

क्र० स०	जिला का नाम	विपत्र कोड			स्वीकृत राशि (कॉलम 3, 4 एवं 5 का योग)
		16-2515001980115	16-2515007890115	16-2515007960120	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Kishanganj	39,21,695.00	67,06,863.00	1,06,442.00	1,07,35,000.00
2	Khagaria	1,00,00,000.00	0	0	1,00,00,000.00
3	Nalanda	1,00,00,000.00	0	0	1,00,00,000.00
4	Katihar	1,00,00,000.00	0	0	1,00,00,000.00

5	Samastipur	1,00,00,000.00	0	0	1,00,00,000.00
6	Bhojpur	1,00,00,000.00	0	0	1,00,00,000.00
7	Purnia	1,00,00,000.00	0	0	1,00,00,000.00
8	Rohtas	1,00,00,000.00	0	0	1,00,00,000.00
9	Begusarai	1,00,00,000.00	0	0	1,00,00,000.00
10	Kaimur	1,00,00,000.00	0	0	1,00,00,000.00
Total -		**9,39,21,695.00**	**67,06,863.00**	**1,06,442.00**	**10,07,35,000.00**

6. इस स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024–25 में **मांग संख्या–16** के राज्य योजना मद से निम्नरूपेण की जाएगी :–

राशि रूपये में

क्र०	योजना शीर्ष	राशि
(i)	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0115–स्वच्छ गाँव–निश्चय–2 कार्यक्रम"। विषय शीर्ष–0115.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण। विपत्र कोड– 16–2515001980115	₹9,39,21,695.00
(ii)	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0115–स्वच्छ गाँव–निश्चय–2 कार्यक्रम"। विषय शीर्ष–0115.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण। विपत्र कोड– 16–2515007890115	₹67,06,863.00
(iii)	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–स्वच्छ गाँव–उपशीर्ष–0120–स्वच्छ गाँव–निश्चय–2 कार्यक्रम"। विषय शीर्ष–0120.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण। विपत्र कोड– 16–2515007960120	₹1,06,442.00
	कुल :–	**₹10,07,35,000.00**

7. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

8. इस स्वीकृत राशि का उपयोग विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5465 दिनांक–17.09.2021 एवं समय–समय पर निर्गत विभागीय अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

9. इस स्वीकृत राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

10. जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला से संबंधित ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान की राशि का नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

लगातार .....

11. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. इस स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की सहमति संचिका संख्या 3प/मु०ग्रा०सो०स्ट्री०ला०यो०–21–01/2024 की पृष्ठ संख्या–38/टि० पर दिनांक– 18/03/2025 को प्राप्त है।

13. इस स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 3प/मु०ग्रा०सो०स्ट्री०ला०यो०–21–01/2024 की पृष्ठ संख्या–38/टि० पर दिनांक– 19/03/2025 को प्राप्त है।

14. इस स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव एवं प्रारूप पर मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 3प/मु०ग्रा०सो०स्ट्री०ला०यो०–21–01/2024 की पृष्ठ संख्या–38/टि० पर दिनांक– 20/03/2025 को प्राप्त है।

15. स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

विश्वासभाजन

20/3

(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–3प/मु०ग्रा०सो०स्ट्री०ला०यो०–21–01/2024/85(स्वी०)/पं०रा० पटना, **दिनांक**–21/3/2025

प्रतिलिपिः–संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक/संबंधित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3

(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–3प/मु०ग्रा०सो०स्ट्री०ला०यो०–21–01/2024/85(स्वी०)/पं०रा० पटना, **दिनांक**–21/3/2025

प्रतिलिपिः–संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3

(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–3प/मु०ग्रा०सो०स्ट्री०ला०यो०–21–01/2024/85(स्वी०)/पं०रा० पटना, **दिनांक**–21/3/2025

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार पटना/निदेशक, ब्रेडा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/25

(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

लगातार .....

ज्ञापांकः–3प/मु०ग्रा०सो०स्ट्री०ला०यो०–21–01/2024/85(नि०)/पं०रा० पटना, **दिनांक**–21/3/2025

प्रतिलिपिः–परियोजना निदेशक, SPRC/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–05 एवं 06, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3

(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–3प/मु०ग्रा०सो०स्ट्री०ला०यो०–21–01/2024/85(नि०)/पं०रा० पटना, **दिनांक**–21/3/2025

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3

(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–3प/मु०ग्रा०सो०स्ट्री०ला०यो०–21–01/2024/85(नि०)/पं०रा० पटना, **दिनांक**–21/3/2025

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

20/3/25

(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव